



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267980
CG-DL-E-26112025-267980

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5261]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947

No. 5261]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5442(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गठित बोर्ड 'हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड' (एचएसबीटीई), 'पंचकुला' (पैन: AAAGT0008A) को, होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है :

- (क) केन्द्र सरकार और हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, असाइनमेंट और अंशदान।
- (ख) शुल्क, जैसे संबद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रवासन शुल्क, प्रतिलेखन शुल्क, आदि।
- (ग) रॉयल्टी और दंड सहित प्रभार।
- (घ) वसीयतें, दान और बंदोबस्ती या अन्य अंशदान।
- (ङ) एचएसबीटीई में निहित किसी भी प्रतिभूतियों की विक्री आय और संपत्ति से किराया और लाभ।
- (च) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, पंचकुला -

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 के लिए लागू मानी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2025-2026 से 2028-2029 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2026-27 से 2029-30 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 163/2025/फा. सं. 300196/76/2024-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5442(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Haryana State Board of Technical Education (HSBTE), Panchkula' (PAN: AAAGT0008A), a Board constituted by Government of Haryana, in respect of the following specified income arising to the said Board, as follows:

- (a) Grants, Assignments and Contributions received from the Central Government and the State Government of Haryana.
- (b) Fees, such as Affiliation Fees, Examination Fees, Migration Fees, Transcription Fees, etc.
- (c) Royalties and charges including penalties.
- (d) Bequests, donations and endowments or other contributions.
- (e) Sale proceeds of any securities and Rents & profits from property vested in HSBTE.
- (f) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Haryana State Board of Technical Education, Panchkula –

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have applied for Assessment Year 2025-2026 relevant to Financial Year 2024-25 and applicable for Assessment Years 2026-27 to 2029-30 relevant to Financial Years 2025-2026 to 2028-2029.

[Notification No. 163/2025/F. No. 300196/76/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.